न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 29/2022 **दायर दिनांकः 18/11/2022**

उनवान

1. राधेश्याम आयु 65 वर्ष पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अरनिया तहसील अटरू जिला बारां (राज.)।
2. सुरेन्द्र कुमार आयु 57 वर्ष पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अरनिया तहसील अटरू जिला बारां (राज.) ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

आदेश **दिनाकः 12/01/2023**

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 66 के खसरा न. 263 का रकबा 3.21 है. कुल किता 1 का रकबा 3.21 है0 आराजी में हिस्सा 1/6—1/6 दर्ज खाता चली आ रही है। इसी प्रकार आराजी ग्राम एवं माल अर्डान्द तहसील अटरू में खाता संख्या 275 के खसरा न. 859 का रकबा 0.50 है., खसरा न. 860/1252 का रकबा 0.07 है., खसरा न. 861 का रकबा 0.05 है., खसरा न. 862 का रकबा 0.84 है. कुल किता 4 का रकबा 1.46 है0 आराजी में हिस्सा 1/6—1/6 दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी क्रम 1 का नाम प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से राधेश्याम के स्थान पर श्याम अंकित हो गया है तथा प्रार्थी क्रम 2 का नाम सहवन से सुरेन्द्र कुमार के स्थान पर शिवजी अंकित हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थी क्रम 1 का सही नाम राधेश्याम है तथा प्रार्थी क्रम 2 का सही नाम सुरेन्द्र कुमार जो कि उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजो में भी राधेश्याम व सुरेन्द्र

कुमार नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत चरडाना पं.स. अटरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर प्रार्थी क्रम 1 का नाम श्याम के स्थान पर राधेश्याम व प्रार्थी क्रम 2 शिवजी के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थीगण का नाम श्याम व शिवजी कर देने से प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थीगण व आराजी ग्राम अटरू तह. अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 66 के खसरा न. 263 का रकबा 3.21 है0 कुल किता 1 का रकबा 3.21 है0 आराजी में तथा ग्राम एवं माल अर्डान्द तह. अटरू में खाता संख्या 275 के खसरा न. 859 का रकबा 0.50 है., खसरा न. 860/1252 का रकबा 0.07 है., खसरा न. 861 का रकबा 0.05 है., खसरा न. 862 का रकबा 0.84 है. कुल किता 4 का रकबा 1.46 है0 आराजी में प्रार्थी क्रम 1 का नाम श्याम के स्थान पर राधेश्याम व प्रार्थी क्रम 2 का नाम शिवजी के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3. साक्ष्यप्रार्थी के तहत pw 1 से pw 3 के शपथ पत्र पेश किये गये। pw 1 राधेश्याम पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अरनिया तहसील अटरू जिला बारां (राज.) का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यप्रार्थी ने सशपथ बयान किया कि मेरे शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 66 के खसरा न. 263 का रकबा 3.21 है. कुल किता 1 का रकबा 3.21 है. आराजी में हिस्सा 1/6 दर्ज खाता चली आ रही है।

इसी प्रकार आराजी ग्राम एवं माल अडद तहसील अटरू में खाता संख्या 275 के खसरा न. 859 का रकबा 0.50 है.. खसरा न. 860/1252 का रकबा 0.07 है., खसरा न. 861 का रकबा 0.05 है.. खसरा न. 862 का रकबा 0.84 है. कुल किता 4 का रकबा 1.46 है. आराजी में हिस्सा 1/6 दर्ज खाता चली आ रही है। मेरा नाम प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से राधेश्याम के स्थान पर श्याम अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा सही नाम राधेश्याम है जो कि मेरे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजो में भी राधेश्याम नाम ही दर्ज है। उक्त दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत चरडाना पं.स. अटरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दिये है। मैं राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में श्याम के स्थान पर राधेश्याम दर्ज करवाने का अधिकारी हूँ।

pw 2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अरनिया तहसील अटरू जिला बारां (राज.) का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यप्रार्थी ने सशपथ बयान किया कि मेरे शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 66 के खसरा न. 263 का रकबा 3.21 है. कुल किला 1 का रकबा 3.21 है. आराजी में हिस्सा 1/6 दर्ज खाता चली आ रही है। इसी प्रकार आराजी ग्राम एवं माल अडद तहसील अटरू में खाता संख्या 275 के खसरा न. 859 का रकबा 0.50 है... खसरा न. 860/1252 का रकबा 0.07 है., खसरा न. 861 का रकबा 0.05 है., खसरा न. 862 का रकबा 0.84 है. कुल किता 4 का रकबा 1.46 है। आराजी में हिस्सा 1/6 दर्ज खाता चली आ रही है। मेरा नाम प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से सुरेन्द्र कुमार के स्थान पर शिवजी अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा सही नाम सुरेन्द्र कुमार है जो कि मेरे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजो में भी सुरेन्द्र कुमार नाम ही दर्ज है। उक्त दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत चरडाना पं.स. अटरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दिये है । मैं राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में शिवजी के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार दर्ज करवाने का अधिकारी हूँ।

pw 3 ललित मोहन आयु 6 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां (राज.) का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यप्रार्थी ने सशपथ बयान किया कि मेरे शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 66 के खसरा न. 263 का रकबा 3.21 है. कुल किता 1 का रकबा 3.21 है.

आराजी में हिस्सा 1/6 दर्ज खाता चली आ रही है। इसी प्रकार आराजी ग्राम एवं माल अर्डान्द तहसील अटरू में खाता संख्या 275 के खसरा न. 859 का रकबा 0.50 है., खसरा न. 860/1252 का रकबा 0.07 है., खसरा न. 861 का रकबा 0.05 है.. खसरा न. 862 का रकबा 0.84 है. कुल किता 4 का रकबा 1.46 है. आराजी में हिस्सा 1/6 दर्ज खाता चली आ रही है। प्रार्थी राधेश्याम व सुरेन्द्र कुमार तथा मैं आपस में चाचा ताऊ के भाई–भाई है तथा मेरे सहखातेदार है जिनका नाम प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से राधेश्याम के स्थान पर श्याम तथा सुरेन्द्र कुमार के स्थान पर शिवजी अंकित हो गया है जो कि गलत है। द्य जबकि वास्तविक नाम राधेश्याम व सुरेन्द्र कुमार है। जिनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजो में भी राधेश्याम नाम ही दर्ज है। राजस्व कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से गलत नाम अंकित कर देने से प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में इनके नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहे है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाने के अधिकारी है ।

4. अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 66 के खसरा न. 263 का रकबा 3.21 है0, तथा ग्राम एवं माल अर्डान्द तह. अटरू में खाता संख्या 275 कुल किता 4 का रकबा 1.46 है0 आराजी में प्रार्थी क्रम 1 का नाम श्याम के स्थान पर राधेश्याम व प्रार्थी क्रम 2 का नाम शिवजी के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

5. अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम अर्डान्द की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 275 किता 4 कुल रकबा 1.46 है0 आराजी में प्रार्थी कम 1 का नाम शामलाती खाते में श्याम पुत्र रामस्वरूप एवं प्रार्थी कम 2 का नाम शिवजी पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/6–1/6 दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पिपलोद की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 66 के ख0 नं0 263 रकबा 3.21 है0 आराजी के शामलाती खाते में प्रार्थी कम 1 का नाम श्याम पुत्र रामस्वरूप एवं प्रार्थी कम 2 का नाम शिवजी पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/6–1/6 दर्ज रिकार्ड है।

प्रस्तुत अन्य दस्तावेज प्रार्थी क्रम 1 का नाम आधार कार्ड में राधेश्याम गौतम पुत्र रामस्वरूप गौतम, बैंक ऑफ बडौदा की पासबुक में राधेश्याम पुत्र रामस्वरूप, भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पहचान पत्र में राधेश्याम पुत्र रामस्वरूप दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत चरडाना के प्रमाण पत्र दिनांक 17.11.2022 अनुसार राधेश्याम व श्याम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। प्रार्थी क्रम 2 का नाम आधार कार्ड में सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप, भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पहचान पत्र में सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप, राशन कार्ड में सुरेन्द्र कुमार गौतम पुत्र रामस्वरूप, बिजली बिल में सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप, बैंक ऑफ बडौदा की पासबुक में सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत चरडाना के प्रमाण पत्र दिनांक 17.11.2022 अनुसार सुरेन्द्र कुमार गोतम एवं शिवजी दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से जाहिर है कि प्रार्थी क्रम 1 का सही नाम राधेश्याम एवं प्रार्थी क्रम 2 का सही नाम सुरेन्द्र कुमार ही है। अतः रिकार्ड एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम पिपलोद की विवादित आराजी खाता संख्या 66 के ख0 नं0 263 रकबा 3.21 है0 तथा ग्राम अर्डान्द के खाता संख्या 275 के ख0नं0 859 की 0.50 है0, ख0नं0 860/1252 की 0.07 है0, ख0नं0 861 की 0.05 है0, ख0नं0 862 की 0.84 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.46 है0 में सहखातेदार श्याम पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर राधेश्याम पुत्र रामस्वरूप तथा सहखातेदार शिवजी पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार उर्फ शिवजी पुत्र रामस्वरूप दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां